हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

राजस्व वाद संख्या 04/2002 अनवान चौखा बनाम भला

24.10.17

वकील प्रतिवादीगण उपस्थित। वकील प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 13.07.2010 पर बहस सुनी गई। वकील प्रतिवादीगण का कथन है कि विचाराधीन वाद संख्या 04/2002 अनवान चौखा बनाम भला मे दिनांक 12.04.2005 को एक पक्षीय निर्णय व डिकरी के विरूद्ध आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसे क्रमांक 163/2005 पर दर्ज किया गया एवं दिनांक 16.06.2009 को पारित आदेशानुसार निर्णय व डिकरी दिनांक 12.04.2005 को निरस्त की गई है। आदेश दिनांक 12.04.2005 की पालना मे प्राथमिक डिकरी के आधार पर तहसीलदार बाडमेर द्वारा नामान्तकरण संख्या 120 दिनांक 21.09.2005 तथा 708 दिनांक 21.09.2005 पारित किया गया, जबकि उक्त आदेश दिनांक 12.04.2005 श्रीमान् द्वारा दिनांक 16.06.2009 को निरस्त किया जा चुका है। लिहाजा दिनांक 12.04.2005 से पूर्व की राजस्व अभिलेख की स्थिति बहाल करने हेतु तहसीलदार बाडमेर को निर्देशित किया जावें।

वकील वादी द्वारा आवेदन मे अंकित इस तथ्य को स्वीकार किया है कि निर्णय दिनांक 16.06.2009 द्वारा प्रकरण में पारित प्राथमिक डिकरी व निर्णय दिनाक 12.04.2005 को निरस्त किया गया है। उक्त आदेश के आधार पर कोई नामान्तकरण पारित नही किया गया है। प्रतिवादी द्वारा अनावश्यक विलम्ब करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, जो खारिज योग्य है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। वकील प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर चिन्तन मनन किया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि प्रकरण में पारित प्राथमिक डिकरी दिनांक 12.04.2005 के आधार पर नामान्तकरण पारित कर राजस्व अभिलेख की स्थिति में बदलाव किया गया है, जबकि प्राथमिक डिकरी दिनांक 12.04.2005 को इस न्यायालय के आदेश दिनांक 16.06.2009 द्वारा निरस्त किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में प्राथमिक डिकरी दिनांक 12.04.2005 के आधार पर पारित नामान्तकरण विधि सम्मत नही है।

अतः वकील प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार बाडमेर को निर्देश दिये जाते है कि प्राथमिक डिकरी दिनांक 12.04.2005 के आधार पर मौजा दूंढा में पारित नामान्तकरण

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बाड़मेर

Scanned by CamScanner

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	राजस्व वाद संख्या 04/2002 अनवान चौखा बनाम भला

संख्या 120 दिनांक 21.09.2005 तथा 708 दिनांक 21.09.2005 से पूर्व की राजस्व अभिलेख की स्थिति बहाल की जाती है। तहसीलदार बाडमेर तदनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करें।

वकील वादी द्वारा दिनांक 22.01.2016 को न्यायालय में उपस्थित होकर अंकित किया है कि प्रकरण में पैरवी करने की हिदायत नही है। लिहाजा वादी का वाद अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

Scanned by CamScanner